

#1292

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल -

कपासन)

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 10/2

दापर दिनांक 09/10/25

निर्णय दिनांक 09/10/25



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	रूपाली	33	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया</p>	<p>तहसिलीदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा.अधि. 1956 की धारा 136 के अधीन अनुसूच राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>रूपाली</u> प.ह. <u>कपासन</u> खतासं. <u>33</u> में वर्तमान प्रविष्टी स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नमूने परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

प्रतिनिधि पालनार्थ:-

न. कपासन

हस्ताक्षर गिरदावर

हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार

तहसीलदार (पु.अ.)

तहसील कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

तहसीलदार कपासन

तहसील कपासन जिला-चित्तौड़गढ़